RCMS No. 2019/00030 न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 10/19 **सन् 2019**

बउनवानीः–

1. राधेश्याम पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
2. कैलाश पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
3. शंकर पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
4. विमलेश पुत्र स्व. श्री चिरंजीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
5. पवन पुत्र स्व.श्री चिरंजी लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
6. राजेश पुत्र प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
7. रमेशचन्द पुत्र स्व.गोविन्दराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर
8. हरिप्रसाद पुत्र स्व.श्री गोविन्दराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. रामनाथ शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी बोरीफ तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 298 निर्णय दिनांक 5.3.1988 एवं नामा0 संख्या 310 दिनांक 20.5.1989 वाके ग्राम बोरीफ तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र वर्मा — वकील रेस्पो.संख्या 2
3. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 30.12.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 298 निर्णय दिनांक 5.3.1988 एवं नामा0 संख्या 310 दिनांक 20.5.1989 वाके ग्राम बोरीफ,तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आराजी ख0न0 पुराने ख0न0 18 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 21 रकबा 8बिस्वा, ख0न0 61 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 161 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 336 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 341 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, जिसके नवीन खतौनी संख्या 50 में नवीन ख0न0 47 रकबा 0.3600 है0, ख0न0 48 रकबा 0.7600 है0, ख0न0 67 रकबा 0. 1000 है0, ख0न0 141 रकबा 1.3200 है0, ख0न0 385 रकबा 0.0600है0,ख0न0 386 रकबा 0.220है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.82 है0 नवीन खतौनी संख्या 42 मे नवीन ख0न0 646 रकबा 0.8100 है0, ख0न0 859 रकबा 0.0200 है0, ख0न0 860 रकबा 0.6500 है0,ख0न0 861 रकबा 0.7000 है0, वाके ग्राम बोरीफ खातेदार मॉफी मंदिर विराजमान ठाकुर जी महाराज श्री सीताराम जी ग्राम बोरीफ तहसील सवाईमाधोपुर की खातेदारी मे दर्ज है जिसके सदैव से यानी बीस साला सेटलमेंट हुआ तब से अपीलान्ट के बुजुर्गो की खातेदारी कब्जे काश्त एहतआम पुजारी स्व0 बृजमोहन व गोविन्दा ब्राहामण निवासी बोरीफ के नाम से दर्ज खातदेरी चली आ रही थी जिसको अपीलान्टस की जानकारी के बिना ही योग्य अदालत मातेहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्टस के नाम की एहतमाम पुजारी के नाम की खातेदारी को दुरूस्त फरमाते हुए केवल मात्र मॉफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके ग्राम बोरीफ के नाम गलत अंकित की है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टस के नाम मॉफी मंदिर श्री बालाजी वाके ग्राम बोरीफ एहतमाम पुजारी राधेश्याम, रामनिवास(रामनाथ), प्रहलाद चिरंजी रामप्रसाद कैलाश पिता बृजमोहन हिस्सा बराबर गोविन्दा पुत्र श्योनारायण के नाम बजमाने 20 साल भूप्रबंध से चले आ रहे है जिनको बिना सुने ही योग्य अदालत मातेहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने दिनांक 5.3.1988 को हम अपीलान्ट का नाम हजफ करते हुए मॉफी मंदिर श्री बालाजी ग्राम बोरीफ तहसील सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज करके अहम भूल की है क्योकि अपीलान्ट सदैव से ही बालाजी मॉफी मंदिर ग्राम बोरीफ के पुजारी है एवं सेवा पूजा करते चले आ रहे है तथा बीस साला भू प्रबंध में प्रार्थीगण अपीलान्टस के बुजुर्गो के नाम एहतमाम पुजारी के नाम से दर्ज है यदि अपीलान्ट को

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट अपने दस्तावेजात प्रस्तुत कर सकते थे। इसलिए कानूनन अपीलान्टस का नाम गलत हजफ किया गया है। माफी मंदिर बालाजी ग्राम बोरीफ के पुराने ख0न0 23 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के नवीन ख0न0 61 रकबा 0.1100है0 ख0न0 64 रकबा 0.2000 है0 ख0न0 65 रकबा 0.1100है0 ख0न0 76 रकबा 0.4700है0 बने है। अपीलान्ट अपने नाम के एहतमाम पुजारी के इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है चूंकि माफी मंदिर श्री सीताराम जी एवं बालाजी ग्राम बोरीफ तहसील सवाईमाधोपुर की सेवा पूजा व्यवस्था का सम्पूर्ण खर्चा स्वंय ही करते है। अतः राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/ 2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के निर्देशानुसार कार्यवाही कर नामा0 निरस्त करके पुनः नामा0 भरे जाने के आदेश फरमाया जावे। आदेश जैर अपील की दिनांक 24.4.2019 को जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 25.4.2019 को नकल प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पो.2 द्वारा उक्त भूमि का नामा0 अपीलान्ट के साथ–साथ रेस्पो. 2 के नाम भी करने के आदेश फरमाने बाबत निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि मंदिर माफी सीताराम जी एवं बालाजी बिराजमान बोरीफ तह0 सवाईमाधोपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी किन्तु उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो जाने के कारण सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने रेफरेन्स प्रस्तुत किये गये जाने पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 298 राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर के रैफरेन्स संख्या 117/87 उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम,रामनिवास पिसरान बृजमोहन ब्राहामण मे पारित निर्णय दिनांक 20.7.1987 की पालना मे तथा नामा संख्या 310 राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर के रैफरेन्स संख्या 64/1986 उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 18.7.1986 की पालना में दर्ज फैसल किया गया जाकर उक्त भूमि वापस मंदिर माफी सीताराम जी व बालाजी के नाम आदेश जैर अपील से दर्ज फैसल की गयी है। यह तर्क भी दिया कि राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के निर्देश संख्या 1 पर पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12. 1991 की पालना में जमाबन्दी मे मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करते साथ–साथ यदि पृथक से इस हेतु संघारित रजिस्टर में उसका नाम अंकन नही किया गया हो तो दिनांक 13.12. 1991 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर मे दर्ज करने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है ना कि उक्त भूमि पुजारी के नाम किये जाने बाबत। अतः अधीनस्थ न्यायालय पारित आदेश जैर विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज करने बाबत पैरोकार रास्जस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा रैफरेन्स संख्या 117/87 निर्णय दिनांक 20.7.1987 एवं रैफरेन्स संख्या 64/1986 उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 18.7.1986 की पालना में दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रृटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के निर्देश संख्या 1 की पालना नही की गयी हो तो अब पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.01.30 16:49:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: